निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल ।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिए को शूल ।। .
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

आज वैश्विक स्तर पर विभिन्न भाषाओं पर संकट मडरा रहा है। क्रमशः सैकड़ों भाषाएं एवं बोलियां मृतप्राय हो रही हैं। वैश्विकरण के नाम पर अनेकों राष्ट्रों पर सांस्कृतिक आक्रमण किया जा रहा है। किसी भी देश की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग भाषा होती है। भाषा मात्र संवाद का माध्यम नहीं है भाषा संस्कृति की संवाहिका होती है।

इस तथाकथित वैश्विकरण के प्रवाह में कई भाषाएं समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही हैं। इस प्रक्रिया में एक बड़ा प्रयास विगत दिनों में भारत में भी किया गया। वह हमारी नींव हिलाने स्वरूप था। वर्ष 2011 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन में त्रिभाषा सूत्र के अनुसार संस्कृत पढ़ाई जा रही थी। उसके स्थान पर जर्मन भाषा को गैर कानूनी ढ़ंग से गोएथे संस्था के साथ अनुबंध (MOU) करके थोपा गया था। वास्तव में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को इस प्रकार के अनुबंध करने का अधिकार भी नहीं है। इसके विरुद्ध शिक्षा बचाओ आन्दोलन ने आवाज उठाकर विरोध किया था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किए गए सारे प्रयास विफल होने के बाद संस्कृत शिक्षक संगठन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी जिसका निर्णय 15 अक्टूबर 2014 को आया। इस कानूनी प्रक्रिया में वर्तमान सरकार ने पूर्व की सरकार के कार्यकाल में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो गलती की गई थी उसका सुधार करने हेतु न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करके पुनः संस्कृत को लागू करने की बात स्वीकार की। जर्मन संस्था गोएथे के साथ किया हुआ अनुबंध का समय पूर्ण होने के बाद उसको पुनः अनुबंध हेतु अनुमति नहीं दी।

न्यायालय के इस निर्णय और इसमें केन्द्र सरकार ने कानून के अनुसार जो कार्य किया उसके विरोध में देश के कुछ अंग्रेजी समाचार पत्र एवं चैनलों ने हो हल्ला शुरू कर दिया कि वैश्वीकरण के इस युग में वर्तमान केन्द्र सरकार छात्रों को विदेशी भाषा से वंचित करके बड़ा नुकसान कर रही है। संस्कृत को पुनः लागू करके सरकार अपने भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है आदि। यह सारा पढ़ कर एवं सुनकर मन में विचार आ रहा था कि देश की भाषा नीति एवं संविधान की भावना के विरुद्ध जर्मन भाषा हटाने का विरोध का इतना हो हल्ला तो जर्मनी में भी नहीं हुआ होगा। इस प्रकार की बाते लिखने एवं चर्चा करने वाले माध्यमों पर एक तरह से तरस आता है एवं दूसरी ओर उनके राष्ट्र विरोधी आचरण पर भी गुस्सा आता है।

वर्ष 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार देश में त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया। इसका दूसरा अर्थ यह है कि बालकों को विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक 3 भाषाएं पढ़ाई जाएं। यह तीन भाषा अंग्रेजी छोड़ कर भारतीय भाषाएं हों जिनका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। इसके अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा 18 जनवरी 1968 में पारित सरकारी संकल्प के अनुसार हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा, अंग्रेजी एवं हिन्दी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

देश की शिक्षा नीति एवं संविधान की भावनाओं के विरुद्ध वर्ष 2011 में जब संस्कृत के स्थान पर जर्मन भाषा लागू करने का गैर कानूनी निर्णय लिया गया तब इन माध्यमों ने एक शब्द भी विरोध में लिखना या बोलना उचित नहीं समझा। और जब इन गैर कानूनी निर्णय को सुधार करके कानून के अनुसार कार्य किया गया तब इन माध्यमों एवं तथा कथित

सेकुलरवादियों ने आधार विहीन विरोध प्रारंभ कर दिया। देश के लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। इस प्रकार के गैर कानूनी अनुबंध के जिम्मेवारों की जांच हेतु केन्द्र सरकार ने एक जांच समिति का भी गठन किया है।

मित्रों इसमें जर्मन या अन्य किसी भी भाषा के विरोध की बात नहीं है। परंतु संविधान की भावना एवं देश की शिक्षा नीति के विरुद्ध जो कार्य किया गया था उसका अवश्य विरोध होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्वीकरण के युग में या अन्यथा भी हमारे छात्र कोई भी विदेशी भाषा सीखें उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। परंतु सभी भाषाओं की जननी संस्कृत के स्थान पर एक विदेशी भाषा पढ़ाना यह कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरी बात यह है कि हमारे देश के नीति नियंताओं शिक्षाविदों एवं देश के नागरिकों को विचार करना होगा कि वैश्वीकरण के नाम पर हवा में उड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पैर जमीन पर बराबर टिकाए रख कर विश्व की हमारे अनुकूल बातों को ग्रहण करना उचित होगा। आज हमारे छात्र विश्व की कोई भी भाषा सरलता से सीख सकते हैं क्योंकि हमारी नींव मजबूत है। हमारी भाषाओं की सुदृढ़ नीव है संस्कृत। इस नींव को ही हम हिलाने का प्रयास करेंगे तो ऊपर की इमारत टिकाए रखना असंभव होगा। आवश्यकता यह है कि छात्रों को शिक्षा अपनी भाषा में ही दी जाए और निश्चित कक्षा पूर्ण करने के बाद विश्व की अन्य भाषाएं सीखने का विकल्प उनको उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। वैश्विक स्तर पर भाषा सम्बन्धित हुए अध्ययनों का निष्कर्ष एवं भाषा शास्त्रियों तथा महात्मा गांधी, विनोबा भावे आदि महापुरुषों की इसी बात के समर्थन मैनें भी अपने विचार व्यक्त किए है।

अतुल कोठारी
राष्ट्रीय सचिव
शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यासए नई दिल्ली